तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम ओंकारमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	वि०वा०पत्र प्र०सं० – 12/2025
03-06-25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिसों की द्वितीय प्रति मय डिलिवरी रिपोर्ट के वापस पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते आदेश तामील पत्रावली दिनांक 17-06-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.6.25	पत्रावली पेश हुई। पकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.6.25 को पेश हो।
30.6.25	पत्रावली पेश हुई। पकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10.7.25 को पेश हो।
10.07.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जा चुकी है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने पर भी अप्रार्थीगण में से कोई भी व्यक्ति हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट पर [illegible] सरकार एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में सरकारी पैरोकार ने [illegible] बहस अवगत कराया कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव में कृषि भूमि खसरा नम्बर 837 तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रस्तावित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार बनाम सामोतावाली

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारी… अहकाम जो… हुक्म की ता… में जारी हु…
दि० 12.08.25	

प्रचलित रास्ता ढाणी सामोतावाली से ढाणी अमरा खोड़ा वाली तक जाता है। जो रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मे काम आ रहा है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है तथा जिन खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नही किये गये है। उन खातेदारान् की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर खातेदारान् शेष अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कदीम से चालू होकर वर्तमान में भी चालू है। जो आमजन के सार्वजनिक उपयोग-उपभोग में आवागमन के रूप में काम में आ रहा है। उक्त प्रचलित रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रहा है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता को स्वीकार करने बाबत निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 837 रकबा 1.30 हैक्टर में से 0.0460 हैक्टर प्रस्तावित किया गया प्रचलित रास्ता ढाणी सामोतावाली से ढाणी अमरा खोड़ा वाली तक जाता है। जो रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में काम आ रहा है। जो मौके पर आवागमन हेतु चालू होना गुगल मैप से भी प्रमाणित होता है। उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै० मु० रास्ता कटवाने हेतु सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किया जाना प्रकट होता है। वो खातेदारान् जिनके द्वारा प्रचलित रास्ते हेतु सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम ओंकारमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] [illegible] - 12/2025
	किये गये है। उनको सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाकर उनको समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 837 रकबा 1.30 हैक्टर में से 0.0460 हैक्टर में मौके पर मौजूद प्रचलित रास्ता जो आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग मे आ रहा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से होकर है। उक्त प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधिकांश खातेदारान् सहमत है। इस प्रकार प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीम काल से प्रचलित रास्ते के रूप में काम में आने तथा अधिकांश खातेदारान् द्वारा सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये जाने तथा शेष के विधिवत तामील उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :– राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 837 रकबा 1.30 हैक्टर में से 0.0460 [illegible] तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौके पर [illegible] में अंकित / दर्ज खातेदारी कृषि भूमि [illegible] को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम ओमकारमल | नम्बर व ...
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | अहकाम जो ... की तालीम ...
शि॰ प्रा॰ पत्र क्र.नं. - 12/2025

रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested